न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 05/2023 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. श्री गोपी पिता हमीर कुमावत उम्र वयस्क निवासी डेलास तहसील करेडा जिला भीलवाडा(राज0)।

——वादी

बनाम

01. श्री लेहरू पिता उदा कुमावत उम्र वयस्क निवासी डेलास, तहसील करेडा जिला भीलवाडा(राज0)।
02. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)।

——प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा — 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः—
01 श्री कन्हैया लाल सेन — अधिवक्ता वादी
02 एक तरफा कार्यवाही

निर्णय :: — दिनांक 10.06.2025

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183—राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम डेलास पटवार हल्का रामपुरिया के खाता संख्या 33 में वर्णित आराजी नम्बर 104/2, 105, 38/1, 707/2, 716 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4797 हैक्टयर भूमि स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष पेश किया जो प्रकरण संख्या 64/2020 पर दर्ज होकर दिनांक 10.08. 2020 को निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु दिनांक 27.05.2022 को राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिसमें मौके पर आराजी नंबर 104/2, रकबा 0.2150 हैक्टर मे से 09 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया गया। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 को पत्थरगढी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी को सिपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण वाद पत्र पेश कर भू—अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम डेलास पटवार हल्का रामपुरिया आराजी नंबर 104/2, रकबा 0.2150 हैक्टर मे से 09 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा हैं। उसे हटाकर वादी को सिपुर्द करने का निवेदन किया।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड़ एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड़ एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् कई मर्तबा आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारन के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू—अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए

गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएव:

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम डेलास के खाता सख्या 33 मे वर्णित आराजी नंबर 104/2, रकबा 0.2150 हैक्टर मे प्रतिवादी संख्या 01 का 09 बिस्वा पर किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादी को सुपर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो ।पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा